(iv) शोध प्रबंध कार्य करने वाले प्रत्येक छात्र को इस उद्देश्य के लिए सौंपे गए संकाय सदस्य द्वारा निर्देशित किया जाएगा ।

12. अल्पकालिक (Transitory) :-

(i) जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया की प्राविधिक शिक्षा समिति (एलईसी) की पाठ्यक्रम विकास समिति (सीडीसी) अन्यथा यह निर्णय नहीं लेती है कि सभी छात्रों के लिए अनिवार्य चार आधार पाठ्यक्रम (क) विधि एवं सामाजिक परिवर्तन (बी) विधि एवं न्याय के सिद्धांत (ग) अनुसंधान पद्धति और पाठ्यक्रम के खाका का डिजाइन और मात्रात्मक विश्लेषण होगा ।

(ii) यूजीसी द्वारा किसी विश्वविद्यालय द्वारा एलएलएम कार्यक्रम से संबंधित यूजीसी द्वारा समय–समय पर शुरू किए गए सभी नियम, विनियम, दिशा–निर्देश, निदेंश और परिपत्र और अकादमिक और प्रशासनिक मानकों को स्थापित करने के लिए भी जब तक कि भारतीय बार काउंसिल के किसी विनियम, दिशा–निर्देश, परिपत्र, निर्देश या अधिसूचनाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित/निर्देशित न हों, विश्व विद्यालयों पर ऑपरेटिव और बाध्यकारी रहेंगे । किसी विश्वविद्यालय के सामने आने वाली किसी भी बाधा के मामले में, ऐसी जानकारी बीएससी के समक्ष रखने के लिए बीसीआई की जानकारी में रखना होगा ।

(iii) बार काउंसिल ऑफ इंडिया शिक्षा नियमावली, 2008 के तहत निर्धारित अपनी प्रत्यायन प्रणाली के संचालन के लिए कदम नहीं उठाएगी, प्रत्येक विश्वविद्यालय राष्ट्रीय परिषद (नैक) से प्रत्यायन लेना सुनिश्चित करेगा।

13. कार्यकारी (Executive) एलएलएम कार्यक्रम

(i) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री ।

(ii) यह छह सेमेस्टर में तीन वर्ष का पाठ्यक्रम होगा ।

(iii) कोर्स डिजाइन 2 साल यानी 4 सेमेस्टर के लिए रेगुलर एलएलएम कोर्स के समान होगा ।

(iv) अपनाए जाने वाले एक वर्ष की शेष अवधि (2 सेमेस्टरों के साथ) के शिक्षण–अधिगम विधियां सप्ताह के अंत में कक्षा कक्ष, सप्ताहांत में कक्षा कक्ष अध्ययन, कानूनी पेशेवरों/कानूनशिक्षकोंके लिए उपयुक्त समय सारणी में विश्वविद्यालय की लंबी छुट्टी, अधिमानतः शाम को और ऑनलाइन अनुदेश और पाठ्यक्रम–कार्य; कागज लेखन/परियोजना अनुसंधान या प्रभावी शिक्षण–अधिगम की कोई अन्य अभिनव विधि।

यह पाठ्यक्रम केवल संस्थान में प्रदान किया जाएगा जिसमें शिक्षाओं में अनुसंधान कार्य और कार्यप्रणाली के लिए विशेष संकाय/अवसंरचनाएं होंगी । बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने ट्रस्ट के माध्यम से एक मॉडल संस्था के रूप में शुरुआत में ऐसी संस्था की स्थापना करेगी।

(v) मूल्यांकन प्रणाली को सीपीजीएलआर अनवरत मूल्यांकन, पेपर प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट–रिपोर्ट, होम एग्जामिनेशन और टर्मिनल परीक्षा लेने के लिए विशेष रूप से निर्णय लेने की क्षमता, ग्राहकों का बचाव, बहुविकल्पीय और मूट कोर्ट प्रेजेंटेशन द्वारा अपनाया जाएगा ।

(vi) मूल्यांकन हालांकि ग्रेडिंग प्रणाली होगी और संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) में व्यक्त किया जाएगा ।

14. अनुमोदन के लिए निरीक्षण

(i) एसएससी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एलईसी द्वारा नामित एक प्रख्यात शिक्षाविद, अधिमानतः एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय या किसी अन्य अग्रणी विश्वविद्यालय के कुलपति (सेवारत या सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में तीन से कम सदस्यों के साथ एक निरीक्षण समिति भेजेगा । एसएससो यूजीसी/एचईजीसी से भी कमेटी में एक सदस्य मनोनीत करने का अनुरोध कर सकता है।

(ii) समिति की रिपोर्ट एसएससी के अवलोकन के साथ अनुमोदन के लिए एलईसी के समक्ष रखी जाएगी और जिसकी एक प्रति यूजीसी/एचईजीसी को भी भेजी जाएगी जिसमें संकाय सदस्यों की नियुक्ति के लिए पुस्तकालय अनुदान और अनुदान सहित ब्लॉक और रखरखाव अनुदान आवंटित करने का आग्रह किया जाएगा ।

(iii) एक बार विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद यह पांच वर्ष की अवधि तक जारी रहेगा। हालांकि औचक निरीक्षण पर, एक निरीक्षण समिति इस तरह के अनुमोदन को रद्द करने की सिफारिश कर सकती है: